भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1563

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2026

दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास, प्रशामक देखरेख और बहु-विषयक सहायता

1563. श्री एम.के. राघवन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता, मुफ्त दवाओं, पुनर्वास सेवाओं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और प्रशामक देखरेख (पैलिएटिव केयर) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देशभर के सरकारी अस्पतालों में विशेषकर जिला स्तर पर समर्पित बहु-विषयक बाल चिकित्सा पुनर्वास और प्रशामक देखरेख केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं और दिव्यांग बच्चों की अनुवर्ती देखरेख को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि दिव्यांगता को कम किया जा सके और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं का विवरण, जिनके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, निःशुल्क दवाइयाँ, पुनर्वास सेवाएँ, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी तथा प्रशामक देखभाल (पैलिएटिव केयर) प्रदान की जा रही है, निम्नानुसार है:

i. दिव्यांग अधिनियम, 2016 (सिपडा) के अंतर्गत **क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) उप-योजना,** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग: सीडीईआईसी उप-योजना के अंतर्गत 0–6 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान, रेफरल, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी,

फिजियोथेरेपी तथा माता-पिता/सहकर्मी परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

ii. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग:** इस योजना के अंतर्गत छह छात्रवृत्ति घटकों—प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क कोचिंग—के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 1,73,585 दिव्यांग विद्यार्थियों को 636.74 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है।

iii. **सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना**, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग: इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार हेतु आधुनिक सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

iv. **दिशा एवं विकास योजनाएँ,** राष्ट्रीय न्यास: दिशा एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

v. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)**, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) के अंतर्गत आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं तथा लोगों के स्वयं के खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय) को कम करने में सहायता मिलती है।

(ख): वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांग अधिनियम, 2016 (सिपडा) के अंतर्गत क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) उप-योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। सीडीईआईसी के माध्यम से 0–6 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान, रेफरल, चिकित्सीय सेवाएँ (स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा फिजियोथेरेपी) तथा माता-पिता/सहकर्मी को परामर्श प्रदान किया जाता है। सुदृढ़ रेफरल नेटवर्क, बहु-विषयक प्रारंभिक हस्तक्षेप, विकासात्मक निगरानी, व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाएँ, नियमित चिकित्सा, देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण, डिजिटल अनुवर्ती उपकरण, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन, सामुदायिक जागरूकता तथा समन्वित पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से अनुवर्ती देखभाल को सुदृढ़ बनाया जाता है, जिससे देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है तथा बच्चों के विकासात्मक परिणामों में सुधार होता है।
